प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 20/2020)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने ''अवसंरचना प्रदाता श्रेणी–1 (आईपी–1) पंजीकरण के स्कोप का विस्तार करना'' पर सिफारिशें जारी की।

नई दिल्लीए 13.03.2020: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज ''अवसंरचना प्रदाता श्रेणी–1 (आईपी–1) पंजीकरण के स्कोप का विस्तार करना'' पर सिफारिशें जारी की ।

राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी), 2018 में अवसंरचना प्रदाता (आईपी) के स्कोप का विस्तार करके और कॉमन साझा करने योग्य, निष्क्रिय के साथ–साथ सक्रिय अवसंरचना के कार्यान्वयन को बढ़ावा और प्रोत्साहन देकर सक्रिय अवसंरचना की शेयरिंग को बढ़ावा देने और सुगम बनाने की परिकल्पना की गई है।

2. इस संबंध में भादूविप्रा ने 16 अगस्त, 2019 को ''अवसंरचना प्रदाता श्रेणी–1 (आईपी–1) पंजीकरण के स्कोप की समीक्षा'' पर एक परामर्श पत्र जारी किया था, जिसमें अवसंचना प्रदाता श्रेणी–1 (आईपी–1) पंजीकरण के स्कोप का विस्तार करने पर हितधारको से उनकी राय/टिप्पणियां मांगी गई थी। 26 हितधारकों से टिप्पणियां और 3 हितधारकों से प्रति–टिप्पणियां प्राप्त हुई थी। इस संबंध में 14 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में एक खुला मंच चर्चा भी आयोजित की गई थी।

3. हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/सूचना के आधार पर ओएचडी में इन पर चर्चा करने और अपने विश्लेषण के आधार पर भादूविप्रा ने 'अवसंरचना प्रदाता श्रेणी–1 (आईपी–1) पंजीकरण के स्कोप का विस्तार करना' पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया। इन सिफारिशों की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

I. देश में टेलीग्राफ की वर्तमान जरूरत को पूरा करने के लिए अवसंरचना प्रदाता श्रेणी –। (आईपी–1) पंजीकरण का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए।

II. कोई भी सेवा प्रदाता, जिसके पास देश के किसी भी भाग में दूरसंचार सेवाओं को प्रदान करने के लिए एक टेलीग्राफ को स्थापित करने, बनाए रखने और काम करने के लिए भारत सरकार से प्राधिकार प्राप्त है, केवल आईपी पंजीकरण धारकों से पट्टे/किराये/खरीद आधार पर इस तरह के टेलीग्राफ अवसंरचना को प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

III. आईपी–1 पंजीकरण के विस्तारित दायरे में ऐसी सभी बुनियादी मदों, उपकरणों, और प्रणालियों को स्थापित करने, बनाए रखने और काम करने को शामिल होना चाहिए जो वायरलाइन एक्सेस नेटवर्क, रेडियो एक्सेस नेटवर्क (आरएएन), और ट्रांसमिशन लिंक स्थापित करने के लिए आवश्यक हैं। हालाँकि, इसमें कोर नेटवर्क घटक जैसे स्विच एमएससी, एचएलआर, आईएन आदि शामिल नहीं होंगे। आईपी–1 पंजीकरण के दायरे में ये शामिल होने चाहिए मगर ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं जैसे भारत में कहीं भी राइट ऑफ वे, डक्ट स्पेस, ऑप्टिकल फाइबर, टॉवर, फीडर केबल, एंटीना, बेस स्टेशन, इन–बिल्डिंग सॉल्यूशन (आईबीएस), वितरित एंटीना प्रणाली (डीएएस) ।

IV. आईपी–1 पंजीकरण धारक को भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 के तहत लाइसेंस के आवेदन करने और लाइसेंस जारी करने का पात्र होना चाहिए, जिसके पास ऐसे वायरलेस टेलीग्राफी उपकरण हैं, जिन्हें आईपी–1 पंजीकरण के दायरे में अनुमति दी गई है। हालांकि, आईपी–1 पंजीकरण धारक किसी भी प्रकार के लाइसेंस प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए आवेदन करने और असाइन करने के पात्र नहीं होने चाहिए।

4. सिफारिशों को भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर अपलोड किया गया है। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए श्री एस के सिंघल, सलाहकार (बीबीएंडपीए) से टेलीफोन/फैक्स नंबर + 91–11–23221509 पर संपर्क किया जा सकता है

(एस. के. गुप्ता)

सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।